भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3740

(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई निधियों के संवितरण में विलंब

3740. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने विगत दो वित्त वर्षों के दौरान कई राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों के संवितरण में देरी की है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार और विशेष रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में जिलावार लंबित भुगतानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद इस विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान और आगामी पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के लिए समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पीएमजीएसवाई की बहुत सी सड़कें प्रमुख जिला सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कितनी ग्रामीण बस्तियाँ अभी भी निकटतम राजमार्ग नेटवर्क से बारहमासी संपर्क से वंचित हैं;

(छ) पीएमजीएसवाई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के साथ एकीकृत करने की रूपरेखा क्या है; और

(ज) देश भर में ग्रामीण-से-शहरी परिवहन गलियारों को निर्बाध बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) राज्यों को निधियां उनके मौजूदा कार्यों, उनकी कार्य निष्पादन क्षमता एवं प्रदर्शन तथा उनके पास उपलब्ध पूर्व में जारी की गई निधियों की अप्रयुक्त शेष राशि के आधार पर जारी की जाती

हैं। राज्यों को निधियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद ही जारी की जाती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ किसी राज्य को पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद निधियां जारी न की गई हों। पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल सहित राज्यवार आवंटित/जारी की गई निधि में केंद्रीय अंश और पूरी की गई सड़कों की लंबाई का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

वन विभाग की मंजूरी सहित भूमि की उपलब्धता, राज्यों की संविदा क्षमता, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन जैसी बाधाओं के कारण, कुछ राज्यों में कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा विभिन्न बैठकों जैसे क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम), कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकें, पूर्व-अधिकारप्राप्त/अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें, राज्यों के साथ मासिक समीक्षा/आवधिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पीएमजीएसवाई-II और-III के जारी कार्यों के लिए समय-सीमा मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

(ङ) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई में केवल अन्य जिला सड़कों, ग्राम सड़कों/ग्रामीण सड़कों को ही शामिल किया जाता है। प्रमुख जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पीएमजीएसवाई के दायरे में नहीं आते, भले ही वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों।

(च) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरूस्थलीय क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली पात्र सड़कों से नहीं जुड़ी 25,000 बस्तियों को नई संपर्क सड़कें प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नई संपर्क सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा। पीएमजीएसवाई-IV के दिशानिर्देश तैयार करके दिसंबर, 2024 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जा चुके हैं।

पीएमजीएसवाई-IV के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र बस्तियों की पहचान कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है।

(छ) और (ज) वर्ष 2019 में पीएमजीएसवाई-III की शुरूआत बस्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर लंबे थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ बनाने के लिए की गयी थी। यह कार्यक्रम ग्रामीण बाजारों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को महत्व देते हुए प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालाँकि, ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम)/गोदामों, सरकारी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को सड़कों से जोड़ने के लिए उन्नयन परियोजना के एक भाग के रूप में ही नए निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे पहले से ही पक्की सड़क से नहीं जुड़े हों या मौजूदा सड़कों को मजबूत और चौड़ा करने की आवश्यकता हो।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत, यदि सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़ रही थी, तो उम्मीदवार सड़कों का उपयोगिता मूल्य उच्च था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्य राजमार्गों को जोड़ने वाली कई सड़कों का उन्नयन किया गया है।

सरकार ने पीएमजीएसवाई सड़कों की प्रभावशीलता और पहुँच बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं:

i. पीएम गति शक्ति पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके योजना बनाना।

ii. विशेषकर दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क से न जुड़ी बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता देना।

iii. सड़कों के स्थायित्व में सुधार करने और रखरखाव लागत में कमी लाने के लिए नई निर्माण तकनीकों और सामग्रियों को अपनाना। सर्वोत्तम पद्धतियों और नई तकनीकों के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य किया गया है।

iv. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देना।

v. पीएमजीएसवाई सड़कों के सम्पूर्ण डिजाइन जीवनकाल के दौरान रखरखाव के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

vi. सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से गहन निगरानी करना।

vii. मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित करना।

***

अनुबंध

'विगत दो वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई निधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी की गई सड़कों की लंबाई के ब्यौरे के संबंध में' लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3740 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटित/जारी निधियां (करोड़ रुपये में)		पूरी की गई सड़क लंबाई (कि.मी. में)	
		2023-24	2024-25	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	12.22	0.05	43.42	14.03
2	आंध्र प्रदेश	140.64	507.32	369.14	387.04
3	अरुणाचल प्रदेश	339.9	609	302.97	452.95
4	असम	391.29	79.24	609.64	276.81
5	बिहार	963.37	1195.44	2,251.50	1,648.25
6	छत्तीसगढ	401.77	325.24	200.69	456.82
7	गोवा	0	0	0.00	0.00
8	गुजरात	298.41	220.65	618.74	192.49
9	हरियाणा	74.01	27.38	343.58	93.66
10	हिमाचल प्रदेश	617.56	634.82	317.22	730.05
11	जम्मू और कश्मीर	1304.17	1028.25	956.46	774.66
12	झारखंड	752.8	961.77	1,430.64	1,638.15
13	कर्नाटक	72.25	100.58	457.27	169.59
14	केरल	54.25	122.27	260.75	263.66
15	लद्दाख	37.5	113.81	40.54	38.12
16	मध्य प्रदेश	599.42	703.29	909.96	559.15
17	महाराष्ट्र	1110.8	854.93	1,570.13	2,046.45
18	मणिपुर	161.29	2.81	59.46	67.92
19	मेघालय	122.59	219.62	399.18	289.34
20	मिजोरम	141.37	87.5	149.25	91.11
21	नगालैंड	161.29	2.25	131.64	2.00
22	ओडिशा	1262.55	712.39	2,589.15	880.97

23	पुदुचेरी	0.27	25	24.36	0.00
24	पंजाब	265.1	319.87	955.55	378.64
25	राजस्थान	404.79	450.46	1,669.16	1,213.24
26	सिक्किम	94.37	70	94.44	55.91
27	तमिलनाडु	411.36	638.66	985.47	986.42
28	तेलंगाना	296.9625	132.57	492.94	152.89
29	त्रिपुरा	185.03	172.75	111.70	71.40
30	उत्तर प्रदेश	2679.63	1968.6	6,798.81	2,807.86
31	उत्तराखंड	551.05	815.5	594.31	966.02
32	पश्चिम बंगाल	99.275	225	361.61	405.40
	कुल	**14007.29**	**13327.03**	**26,099.65**	**18,110.96**

****